न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

प्रा0पत्र/11/2022

बृजमोहन पुत्र किशोर जाति अहीर निवासी खेडा सांरगपुरी पुलिस थाना महतू जिला अलवर राज0

......प्रार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये पैरोकार, भरतपुर

......अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बावत वाहन टाटा मिनी ट्रक (छोटा हाथी) आर.जे. 02 जीबी 4332 वमुकदमे एफ. आई.आर. संख्या 458/2021 थाना सीकरी भरतपुर

उपस्थित :-

1. श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक प्रार्थी
2. राजकीय पैरोकार

निर्णय

दिनांक 22.02.2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी इस आशय का पेश किया गया है कि प्रार्थी वाहन वाहन टाटा मिनी ट्रक (छोटा हाथी) आर.जे. 02 जीबी 4332 का प्रार्थी रजिस्टर्ड मालिक है तथा वाहन को अपनी सुपुर्दगी में लेने का अधिकारी है। प्रार्थी का उक्त वाहन पुलिस थाना सीकरी द्वारा नाजायज अवैध वसूली बावत् रूपयों की मॉग की रूपये न देने के कारण प्रार्थी के पुत्र जयराम को उक्त वाहन में गोवंश परिवहन की झूठी रिपोर्ट कर एफ.आई.आर नम्बर 458/2021 धारा 5, 8 धारा आर.बी.ए. एक्ट में दर्ज कर उक्त वाहन को जब्त किया गया। प्रार्थी को गिरफ्तार करने की धमकी देने लगें व उक्त दबाब व भय के कारण प्रार्थी ने डरकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर से अग्रिम पर जमानत पर आजाद है। उक्त प्राथमिकी रिपोर्ट में एक गाय व एक बछिया गाय दुधारू थी व उसकी बछिया एक माह की थी जिसको प्रार्थी अपने बहन को गांव पीपल खेडा ले जा रहा था। प्रार्थी के उक्त वाहन से गौवंश से अवैध रूप से परिवहन नही किया जा रहा था जिसका कोई दस्तावेजी साक्ष्य नही

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज0

है। वाहन करीब 5 माह से थाना सीकरी में खुले में खडा हुआ व जंग तथा अन्य वजह से खराब हो रहा है। प्रार्थी की आजीविका का संकट हो गया है। प्रार्थी अपने वाहन को सुपुर्दगी के सबंध में न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना भली भांति करेगा तथा अन्त में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वाहन टाटा मिनी ट्रक (छोटा हाथी) आर.जे. 02 जीबी 4332 को सुपुर्दगी दिये जाने की प्रार्थना की है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। थानाधिकारी, पुलिस थाना सीकरी से रिपोर्ट तलब की गई। थानाधिकारी, पुलिस थाना सीकरी से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 09.02.2022 शामिल पत्रावली की गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में दर्ज कथनों को दोहराते हुये बताया कि जब्तशुदा वाहन टाटा मिनी ट्रक (छोटा हाथी) आर.जे. 02 जीबी 4332 का स्वामी है तथा सुपुर्दगी में लेने का हकदार है। प्रकरण में प्रार्थी को अवैध वसूली की राशि न देने के कारण जबरदस्ती फंसाया गया है जबकि वाहन में एक गाय व उसकी एक माह की बछिया थी। उक्त गाय दुधारू थी जिसको अपनी बहन के घर पीपल खेडा लेकर जा रहा था। थाना सीकरी में उक्त वाहन को गोवंश अधिनियम में जब्त किया हुआ है जो खुले में खडे रहने से वाहन के खराब होने की संभावना है। वाहन सुपुर्दगी के सबंध में न्यायालय द्वारा जो भी आदेश दिया जावेगा उसकी पालना की जावेगी। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त करने हेतु निवेदन किया है।

अभियोजन अधिकारी की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का खण्डन करते हुये तर्क किया है कि जब्त वाहन में दो गोवंश थे। उक्त वाहन का उपयोग गोवंश की तस्करी एवं अनैतिक कृत्य तथा अवैध परिवहन के लिए किया गया है। वाहन स्वामी के पास में कोई रवन्ना या परमिट नही था जिससे कि प्रार्थी यह सिद्ध कर सके कि उक्त वाहन का उपयोग गोवंश की गौकशी में नही किया जा रहा हो। अभियोजन अधिकारी द्वारा सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक प्रार्थी के कथनों पर गौर किया। थानाधिकारी पुलिस थाना सीकरी की रिपोर्ट का अध्ययन किया गया। थानाधिकारी पुलिस थाना सीकरी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि जब्तशुदा वाहन टाटा मिनी ट्रक (छोटा हाथी) आर.जे. 02 जीबी 4332 में दो गोवंश एक गाय व बछिया को गौकशी के लिए राजस्थान से हरियाणा ले जाया जा रहा था। जिसके पास गोवंश को परिवहन करने का कोई परमिट या रवन्ना नही था। इससे यह तथ्य साबित होता है कि उक्त वाहन अवैध परिवहन व गौवंश की

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०

तस्करी में उपयोग में लिया गया है। प्रार्थी द्वारा अपनी सुपुर्दगी प्रार्थना पत्र के समर्थन में कोई तथ्य या दस्तावेज प्रस्तुत नही किये जिससे उसके तथ्य प्रमाणित हो सके कि उक्त वाहन में दो गोंवश का परिवहन करना एवं किस सक्षम आदेश/लाइसेन्स से परिवहन किया जा रहा था। इस प्रकार प्रार्थी किसी भी प्रकार की रिलीफ पाने का हकदार नही है। राजस्थान गोवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के प्रावधानों अनुसार कार्यवाही विचाराधीन है जिसकी ट्रायल होनी है। ऐसी स्थिति में जप्त गोवंश में संलिप्त जब्तशुदा वाहन टाटा मिनी ट्रक (छोटा हाथी) आर.जे. 02 जीबी 4332 को सुपुर्दगी में नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी काबिल खारिज के रहता है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र सुपुर्दगी बाबत् वाहन टाटा मिनी ट्रक (छोटा हाथी) आर.जे. 02 जीबी 4332 खारिज किया जाता हैं। निर्णय की प्रति थाना अधिकारी सीकरी (भरतपुर) को आवश्यक एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2022 को सुनाया गया।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर
भरतपुर